बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक— प्र०—6 / द०वि० नियम—03—08 / 06(अंश)— 449(S) पटना, दिनांक— 16/01/2020

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

विषयः— प्रतिशत दर निविदा पद्वति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए **Additional Performance Guarantee** के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा— निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या—447(S), दिनांक 16.01.2020—सह—पठित ज्ञापांक—448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाऐं, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्त्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह० 16.1.20
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक— प्र०—6 / द०वि० नियम—03—08 / 06(अंश)— 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16.1.20
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक— प्र०—6 / द०वि० नियम—03—08 / 06(अंश)— 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16.1.20
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक— प्र०—6 / द०वि० नियम—03—08 / 06(अंश)— 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16.1.20
(अमृत लाल मीणा)

Scanned with CamScanner

447(S)
16/01/2020

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046 (एस) दिनांक–06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण–दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:–

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(S) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

C:\USERS\V5_CELL\DESKTOP\PROCEEDING OF 10%\ADHISUCHANA.DOCX